125

संख्याः 1756 /VII-1/120-ख/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग — देहरादून : दिनांकः 12 अगस्त, 2013

विषयः निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि खनन पट्टों पर मानसून सत्र में सामान्य रूप में उपखनिज के चुगान पर रोक रहती है। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में माह जून में आयी भीषण दैवीय आपदा के फलस्वरूप पुनर्निर्माण कार्यों हेतु जिलाधिकारियों द्वारा उप खनिजों की मांग को पूर्ति हेतु वर्षाकाल में भी उप खनिजों के चुगान की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है। जिलाधिकारियो द्वारा की जा रही मांग के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृत निजी खनन पट्टों में खनन कार्य वर्षाकाल में श्री चालू रखे जाने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान कर दी जाय कि नदी तल पर स्थित खनन पट्टों में वर्षाकाल में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ताकि नदी में अचानक तीव्र बहाव आने से कोई जनहानि न हो।

2– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुमति केवल निजी नाप भूमि में शासन द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत उपखनिज के खनन पट्टों हेतु ही प्रभावी होगी।

3– कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1756 (1)/VII-1/120-ख/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।